परिशिष्ट "4" 354

[29/12/2020]

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रश्न सं. [क्र. 394]

प्रकरण क्र– 08 अ/19(3) वर्ष 2018–19
मौजा– नगना प.ह.न. 09
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

प्राचार्य,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय,
शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी)
महाविद्यालय, सागर जिला सागर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

.... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 23/02/2019)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राचार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर ने पत्र कमांक–1012/अग्रणी /2019 सागर दिनांक 11.01.19 अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व) सागर को भेजकर नवीन स्थापित शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 10 हे. भूमि आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर नायब तहसीलदार वृत्त नरयावली का प्रकरण कमांक–50 बी/121 वर्ष 18–19 मौजा नगना अनुविभागीय अधिकरी (राजस्व) सागर के माध्यम से प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुआ। जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ग्राम में इश्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लिया गया, पटवारी से प्रतिवेदन लेकर प्रतिवेदित किया गया कि इश्तहार के जारी होने के उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव कमांक–04 दिनांक 15.08.18 के अनुसार मौजा नगना प.ह.नं. 09 में शासकीय भूमि ख.नं. 224 रकवा 17.62 हे. में से 8.00 हे. भूमि दिये जाने की अनुशंसा की है। हलका पटवारी द्वारा ग्राम की शासकीय भूमि (चरनोई में से 8.00 हे.) भूमि प्रस्तावित की है जो सागर बीना मार्ग से लगभग 02 किलो मीटर एव आबादी से लगभग 500 मीटर दूर है। ग्राम का चरनोई का रकवा 35.05 हे., खाते का (मकबूजा) का 02 प्रतिशत 3.69 हे., 8.00 हे. भूमि प्रस्तावित करने के बाद 27.05 हे. शेष है।

अतः नायब तहसीलदार वृत्त नरयावली/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सागर के प्राप्त प्रस्ताव पर से सहमत होकर मौजा नगना प.ह.नं. 09 रा.नि.मं. नरयावली तहसील सागर जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :–

स. क.	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	आवंटित रकवा (हे.में)	मद	भूमि आवंटित किये जाने का प्रयोजन
01	नगना	09	224	17.62	8.00	शासकीय चरनोई	नवीन स्थापित शासकीय महाविद्यालय नरयावली के भवन निर्माण हेतु

P.T.O.

243
25/2/19

को म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए नवीन स्थापित शासकीय महाविद्यालय नरयावली के भवन निर्माण हेतु म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक–एफ 6–7/2013/सात/2 बी भोपाल दिनांक 13 फरवरी 2013 में दिये गये प्रावधान अनुसार म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित की जाती है।

उक्त भूमि के आवंटन से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आरक्षित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क0/ 1685 /री0कले0/2019 सागर दिनांक 23/02/2019

प्रतिलिपि:–

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरूस्ती कराये जाने हेतु एवं संबंधित विभाग को भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा एवं संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
2. प्राचार्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार सागर जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. नायब तहसीलदार वृत्त नरयावली जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर

परिशिष्ट "ब"

कार्यालयः प्राचार्य, पं. दीनदयाल उपाध्याय,शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
Off., 07582-236283, Fax : 07582-236283, e-mail : nodalsagar@rediffmail.com

क्र. / 6204 / अग्रणी / 2020 सागर, दिनांक :/8.12..2020

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)

विषयः– शासकीय नवीन महाविद्यालय नरयावली भूमि अधिग्रहण/अधिपत्य बावत्।

संदर्भः– विधानसभा 394 इन्जी. प्रदीप लारिया।

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कि शासकीय नवीन महाविद्यालय नरयावली को आवंटित 08 हेक्टेयर भूमि ग्राम :– नगना जिला–सागर महाविद्यालय के अधिग्रहण/अधिपत्य में है।

संलग्न :– **न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के भमि आवंटन आदेश के छायाप्रति।**

डॉ. जी. एस. रोहित
प्राचार्य
शास. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय सागर (म.प्र.)